भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2152
31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर और हृदय रोग के उपचार पर निजी व्यय

†2152. श्री मोहिब्बुल्लाहः
श्री पुष्पेंद्र सरोजः
एडवोकेट प्रिया सरोजः
श्री आनंद भदौरियाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर कम आय वाले और ग्रामीण परिवारों के संबंध में कैंसर और हृदय रोग के उपचार पर किए जाने वाले निजी व्यय के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत कैंसर और हृदय रोग की देखभाल के लिए आवश्यक दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की वहनीयता और उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) ऐसे उपचार पर होने वाले निजी व्यय में दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और नैदानिक योगदान के संबंध में सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है;
(घ) केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के तहत दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के लिए मूल्य निर्धारण और खरीद दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए कौन सा तंत्र मौजूद है; और
(ङ) रोगियों पर कैंसर और हृदय रोग के उपचार के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से होने वाले व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 62.6% से अत्यधिक घटकर वर्ष 2021-22 में 39.4% रह गई है।

(ख) से (घ): आवश्यक दवाओं की वहनीयता एवं उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत, कैंसर एवं हृदय रोगों के उपचार में प्रयुक्त दवाओं सहित, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ देशभर के जन औषधि केंद्रों के माध्यम से किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। उपचार हेतु सस्ती दवाइयां एवं विश्वसनीय प्रतिरोपण फार्मेसियों के माध्यम से किफायती कैंसर-रोधी दवाओं, स्टेंट तथा प्रतिरोपणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिससे रोगियों के जेब से होने वाले व्यय में कमी आती है तथा दीर्घकालिक उपचार का अनुपालन सुदृढ़ होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल तथा निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल के माध्यम से जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में

आवश्यक दवाएं एवं नैदानिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे जेब से होने वाले व्यय में कमी आती है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पतालों के लिए आवश्यक औषधि सूची में कैंसर-रोधी दवाओं को भी शामिल किया गया है।

आवश्यक दवाओं की कीमतों का विनियमन राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एनपीपीए ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल अनुसूचित औषधीय उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य तथा नई दवाओं के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 131 कैंसर-रोधी अनुसूचित औषधीय उत्पाद मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अधिकतम कीमतों में औसतन लगभग 21 प्रतिशत की कमी आई है तथा रोगियों को प्रतिवर्ष लगभग ₹294 करोड़ की अनुमानित बचत हो रही है। एनपीपीए ने कैंसर-रोधी चिकित्सीय श्रेणी के अंतर्गत 54 दवाओं के खुदरा मूल्य भी निर्धारित किए हैं, जिनमें 31 कैंसर-रोधी दवाएं, 22 एंटी-नियोप्लास्टिक दवाएं तथा 1 प्रतिरक्षादमनकारी दवा शामिल है।

(ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर एवं हृदय रोगों के उपचार से संबंधित रोगियों पर वित्तीय भार कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन, शीघ्र पहचान, रेफरल, उपचार तथा जन-जागरूकता को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 524 डे-केयर कैंसर केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय गैर -संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत **30 वर्ष एवं उससे अधिक** आयु के सभी व्यक्तियों की आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं अन्य जन स्वास्थ्य सविधाकेंद्रों के माध्यम से समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा तीन सामान्य प्रकार के कैंसर (मुख, स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा) की सामान्य गैर-संचारी रोगों के लिए जनसंख्या-आधारित जांच की जाती है।
- देश के विभिन्न भागों में उन्नत कैंसर उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 राज्य कैंसर संस्थान तथा 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- सरकार द्वारा सुपर-स्पेशलिटि परिचर्या प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर में 1,460 रोगी परिचर्या बिस्तरों तथा अत्याधुनिक नैदानिक एवं उपचार सुविधाएं तथा चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के द्वितीय परिसर में 460 बिस्तरों वाली उपचार सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
- आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत भी गैर-संचारी रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के तहत मध्यम एवं विशिष्ट स्तर के उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लगभग 55 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं।
- स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कैंसर रोगियों के उपचार हेतु एकमुश्त 15 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
